संO सO - ग्रा0 वि0 7 (सा0 वा0) - 01/2013

दिनांक 09.04.2013 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय कक्ष में पर्यावरण एवं वन विभाग के साथ आयोजित समन्वय बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

(1) श्री अमृत लाल मीणा, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

(2) श्री दीपक कुमार सिंह, सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग

(3) श्री मिथिलेश कुमार, निदेशक (सा0वा0), ग्रामीण विकास विभाग

पर्यावरण एवं वन विभाग राज्य में वृक्षारोपण कार्यों हेतु नोडल विभाग है । ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा से जिला स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। दोनों विभागों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(1) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राजकीय उच्च पथ पर वृक्षारोपण का कार्य पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा ही किया जाए जैसा कि पूर्व से किया जाता रहा है। पूर्व में ग्रामीण अभियंत्रण संगठन के नाम से नियंत्रणाधीन रहे ऐसे पथों (जो अब ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणधीन है) पर पथ तट वृक्षारोपण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जायेगा । यदि जिला स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के तट पर वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में कोई व्यावहारिक अथवा तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होता हो तो ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में पर्यावरण एवं वन विभाग के परामर्श से निदेश दे सकेगा ।

(2) यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ग्रामीण कच्ची सड़क जो राजस्व अभिलेख में अंकित एवं नक्शा पर दर्शाया हुआ हो ऐसे पथ तट पर वृक्षारोपण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जायेगा । इस संबंध में अंचल कार्यालय के अभिलेखों से संपुष्टि की जा सकती है ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्यालयों, सरकारी भवन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र हो और जो दिवाल से घिरा हो (Boundary Wall किया हुआ हो) उन्हें भी संबंधित संस्था प्रधान की सहमति से वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जायेगा । ऐसे भवनों में लगाये गये पौधों की सुरक्षा संबंधित जिम्मेवारी विद्यालय/सरकारी भवन/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की होगी एवं वृक्षों/परिसंपत्ती पर संस्था का अधिकार होगा ।

(4) भविष्य में किये जाने वाले वृक्षारोपण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि पौधों की प्रजाति का चयन इस प्रकार किया गया हो कि कम से कम 40% पौधे फलदार प्रजाति के हों, कम से कम 20% Bio Diversity से संबंधित प्रजाति के हों तथा अधिकतम 4 0% काष्ठ प्रजाति के हों । यह अनुपात प्रत्येक 20 पौधों की एक इकाई बनाकर किया जायेगा ताकि वृक्ष संरक्षण योजना में आवंटन सुगम हो सके । फलदार प्रजाति में प्राथमिकता स्थानीय

26.4.13

प्रजाति को दिया जाना चाहिए । जैसे - आम, कटहल, अमरूद, जामुन, शरीफा, ऑवला इत्यादि । जैव विविधता (Bio Diversity) से संबंधित पौधों की मुख्य प्रजातियॉ - बरगद, पीपल, नीम, बकैन, गुल्लर, पाकड़ तथा काष्ठ प्रजाति में शीशम, गम्हार, सागवान, महोगनी इत्यादि है ।

(5) यह भी निर्णय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले वृक्षारोपण में 2मी x 2मी की दूरी रखी जायेगी । विशेष परिस्थिति में यदि प्रजाति विशेष की आवश्यकता हो तो यह दूरी बढ़ायी जा सकती है । परन्तु सामान्यत: यह अनुमान्य नहीं होगा ।

(6) यह भी निर्णय लिया गया कि मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य बंधेज एवं शर्तों के अधीन निजी भूमि पर फलदार वृक्षों के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए ।

(7) यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रतिवेदन भेजने हेतु जो प्रारूप सुझाया गया है उसे शीघ्र जिलों को संसूचित कर दिया जाए ताकि 2012-13 में कराये गये वृक्षारोपण से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके ।

(8) वृक्षारोपण के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास विभाग इन निर्णयों के आधार पर एक समेकित दिशानिर्देश सभी जिलों को जारी करेगा जिस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकेगा ।

(9) यह भी निर्णय लिया गया कि सामान्यत: प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत के लिए वृक्षारोपण के लिए पौधों की संख्या 2000 पौधे (दो हजार पौधे) तक सीमित रखी जाए ।

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग

26.4.13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक : 147086 दिनांक : 30/04/2013

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया ।

26.4.13
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक : 147086 दिनांक : 30/04/2013

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

26.4.13
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग